

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बरेली ।

वाद सं० 85 / 2009

अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अधि०

अराजी ग्राम मकरन्द पुर पीतमराय

परगना व तहसील बरेली

श्रीमती गीता देवी

बनाम सरकार

न्यायालय निर्णय दिनांक 29/9/09 (खयाली)

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री हरिशंकर गंगवार अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल कालेज कालेज भोजीपुरा बरेली द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अधि०के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया । जिसकी जांच तहसीलदार सदर बरेली से कराई गयी । तहसीलदार सदर बरेली की आख्यानुसार ग्राम मकरन्द पुर पीतम राय परगना व तहसील बरेली के गाटा सं० 289 रक्बा 1.349 हे० पर श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री हरि शंकर गंगवार निवासी 33 तुलसी पुरा का नाम दर्ज है प्रश्नगत आराजी में से 1.012 हे० पर सरदार बल्लभ भाई पटेल को अकृषक घोषित किया गया हेतु प्रस्तावित है जो खाली पड़ा है खेती नहीं हो रही है तालाब ,पोखर के रूप में ही है कोई ताद विधाराधीन नहीं है । तदानुसार प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की सिस्तुति की गयी है ।



जैद दर्ज रजिस्टर किया गया । मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । ग्राम मकरन्द पुर पीतमराय के गाटा सं० 289 रक्बा 1.349 हे० भूमि में से 1.012 हे० भूमि को तहसीलदार सदर की आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने पर अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है ।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर बरेली की आख्या से सहमत होते हुए ग्राम मकरन्द पुर पीतमराय परगना व तहसील बरेली के गाटा सं० 289 रक्बा 1.349 हे० में से 1.012हे० भूमि को अकृषक घोषित किया जाता है । आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बरेली को भेजी जाये । पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर की जाये ।

29/9/09

(अनिल कुमार)

उप जिलाधिकारी सदर बरेली

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित कर उदघोषित किया गया ।

अनिल कुमार

उप जिलाधिकारी

अनिल कुमार

उप जिलाधिकारी सदर बरेली ।

- 1- वादी का नाम श्री शंकर गंगवार
- 2- जिल्द सं० 359
- 3- दावा वकालत सं० 31/09/09
- 4- नोटिस सं० 31/09/09
- 5- पत्रावली सं० 31/09/09
- 6- प्रक 131
- 7- प्रतिनिधि व जाने वाले के हस्ताक्षर
- 8- मिलावट कर्ता के ह०
- 9- धारक सं०

[Handwritten signature]

SECRETARY

SARDAR BALLABH BHAI PATEL DEGREE COLLEGE
BHUJIPURA, BAREILLY

